राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 07/2014/जोधपुर.

मैसर्स इण्डिया एजेन्सी, रिया हाऊस, सोजती गेट, जोधपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री कैलाशचन्द भण्डारी,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30.05.2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र संख्या उपाजो/ए.ई./2013–14/ को जरिये आदेश दिनांक 12.12.2013 के अस्वीकार किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–प्रतिकरापवंचन, जोधपुर द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 12.03.2012 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर किसी प्रकार का कोई स्टॉक नहीं पाया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा संद्धारित लेखा पुस्तकों में अंतिम स्टॉक 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल ₹18,80,333/–, 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल ₹45,11,604/–, 15 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल ₹1,71,040/– की उच्चन्ति बिक्री व माह जनवरी 2012 व फरवरी 2012 का नियमित कर बकाया होना पाया गया। इस प्रकार स्पष्ट रूप से करापवंचन का मामला होने से प्रकरण सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) को प्रेषित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई दिनांक 23.02.2012 के लिये दिनांक 30.03.2012 को नोटिस जारी किया गया। इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 23.03.2012 को ही प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर, जवाब प्रस्तुत किया इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 22, 25(1) व 61 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2012 पारित करते हुए कुल कर राशि ₹8,04,659/–

लगातार.....2

एवं धारा 61 के तहत शास्ति ₹16,09,318/— व अधिनियम की धारा 22 के तहत् नियमित कर, ₹3,59,378/— कुल ₹27,73,355/— का आरोपण किया गया। अपीलार्थी ने प्रकरण को प्रशमन कराने हेतु वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रार्थना—पत्र दिनांक 26.03.2012 को प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर, कर एवं कर के बराबर शास्ति कुल ₹16,09,318/— के प्रश्मन हेतु निवेदन किया गया । प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2013 से अपीलार्थी का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार कर दिया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 33 के तहत् परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, पारित आदेश दिनांक 24.01.2013 को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी । प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवदेन पत्र को जरिये आदेश दिनांक 12.12.2013 को अस्वीकार कर दिया । जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । इस संबंध में कर बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 24.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील जो अपील संख्या 374/2013/जोधपुर पर पंजीबद्ध है, का निर्णय दिनांक 29.05.2014 को किया जाकर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है । चूंकि मूल आदेश दिनांक 24.01.2013 को इस पीठ के द्वारा अपास्त किया जा चुका है । अतः पारित परिशोधन आदेश दिनांक 12.12.2013 के संबंध में प्रस्तुत अपील सारहीन हो गयी है । फलस्वरूप, प्रस्तुत अपील "सारहीन" घोषित की जाकर, खारिज की जाती है ।

परिणामतः, प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

(अमर सिंह) 30.5.14
सदस्य

30.5.2014
(मदन लाल)
सदस्य